न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, पाली

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–03/2018
आरसीएमएस– 20018/00015
तारीख निर्णय– 23/03/2020

प्रार्थी :–

1. सुरजा पत्नि स्व मोहनलाल
2. देवा पुत्र स्व मोहनलाल
3. सागर नट पुत्र स्व मोहनलाल

   जातिगण –नट निवासीगण–गुडा अखेराज तहसील–देसूरी जिला–पाली
   प्रार्थी संख्या 2 व 3 अवयस्क जरिये कुदरती वलीया माता प्रार्थी–1 है।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136राज0भू–राजस्व अधि0 :–

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– वकील श्री राव यशपाल सिंह राणावत।
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार

–: निर्णय दिनांक– 23/03/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–ग्राम– गुडा अखेराज पटवार क्षेत्र केसूली तहसील–देसूरी जिला–पाली मे प्रार्थीगण के पति–पिता मोहन पुत्र मन्सा जाति–नट की खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 201/11 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम, लगान रूपया–9.30 विद्यमान है। प्रार्थीग्ण के उक्त पति/पिता मोहन पुत्र मन्सा की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी के संबंध में तमाम खातेदारी हक अधिकारी प्रार्थीगण में निहित हुए।

यह कि गत सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण क पिता/पति मोहन पुत्र मन्सा की पुरानी खातेदारी अधिपत्य की उक्त [illegible] 201/11 रकबा 15 बीघा के नये खसरा नम्बर 226 रकबा 0.30 हैक्टर [illegible] कर मिसल बंदोवस्त सम्वत 2041–2060 में उक्त मोहन पुत्र म[illegible] गई जिसमें सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारि[illegible] से उक्त मोहन पु[illegible] की उक्त पुरानी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 201/[illegible] रकबा 15 बीघा का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:05 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मात्र 0.3000 हैक्टर दर्ज किया है जबकि पुरानी खातेदारी अनुसार 15 बीघा के बराबर रकबा 2.400 हैक्टर दर्ज करना चाहिए था। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने गलति से प्रार्थीगण के पति/पिता उक्त मोहन पुत्र मन्सा की पुरानी खातेदारी रकबा–15 बीघा का बकाया रकबा 2.10 हैक्टर को इसके पास स्थित नये खसरा नम्बर 225 मे सम्मिलित कर दिया।

अतः सेटलमेन्ट विभाग की उक्त गलति एवं त्रुटि को हस्ब धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत सुधारा जाकर उक्त नये खसरा नम्बर 225 में से रकबा 2.10 हैक्टर (खसरा नम्बर 226 से लगती हुई)प्रार्थीगण के पति/पिता मोहन पुत्र मन्सा की खातेदारी दर्ज की जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय सगत होगा।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता मोहन पुत्र नम्सा नट के गत खातेदारी व इस से बने हाल खसरा नम्बर 226 का बताना रिकोर्ड होने से स्वीकार है। मोहन पुत्र मंशा के नाम पर गत खसरा नम्बर 201/11 रकबा 15 बीघा होना स्वीकार है। तथा वर्तमान रिकोर्ड मे खसरा नम्बर 226 क्षेत्रफल 0.30 हैक्टर मोहन की खातेदारी मे होना स्वीकार है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के बाद लम्बी अवधि गुजर चुकी है। इस दौरान दुरस्ती का कोई आवेदन क्यो नही पेश किया गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा हवाला प्रार्थना पत्र में नही दिया गया है तथा प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि पर सेटलमेंट के बाद से लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक लगातार काश्त के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्ताबेज प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली का अवलोकन करने व प्रस्तुत किये गये भू–अभिलेखो से प्रथम दृष्टया यह अनुतोष खातेदारी प्राप्त करने की घोषणा से संबंधित होने से धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत देय नही है। न्यायायल की विनम्र राय में धारा 136 के अन्तर्गत खातेदारी की घोषणा का प्रावधान नही होने के कारण कानूनन स्वीकार योग्य नही है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आदेश आज दिनांक 23/3/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस.डी.ओ.) देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)